वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण संभाग), बीजापुर द्वारा बीजापुर वन मंडल में 27.714 हे. एवं दंतेवाड़ा वन मंडल में 71.705 हे.; कुल 99.419 हे. वन, नारंगी वन एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव, वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। वन भूमि, नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	वन मंडल	आरक्षित वन भूमि (हे. में)	संरक्षित वन भूमि (हे. में)	नारंगी वन भूमि (हे. में)	राजस्व वन भूमि (हे. में)	कुल वन भूमि (हे. में)
1	बीजापुर	11.383	-	3.345	12.986	27.714
2	दंतेवाड़ा	24.601	24.141	-	22.963	71.705
	योग	**35.984**	**24.141**	**3.345**	**35.949**	**99.419**

उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार वन भूमि / नारंगी वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांकः 12/09/2016
स्थानः रायपुर

(बी. एल सरेन)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़, रायपुर